न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 181/2022

1. सरलादेवी पत्नी महावीरप्रसाद जाति यादव निवासी 2 बीआरडब्ल्युएम खाजूवाला जिला बीकानेर

.....प्रार्थी

1. मोतीलाल पुत्र गणपतराम जाति नायक निवासी चक 2 बीआरडब्ल्युएम खाजूवाला
2. तहसीलदार राजस्व खाजूवाला

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट

–: आदेश :– दिनांक :– 06.04.2023

प्रार्थना पत्र का सार इस तरह से है कि प्रार्थीया के नाम चक 22 पीकेडी ए मु0नं0 162/26 के किला नं0 17 ता 24, 25/1 में कुल 2.1497 है0 कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिसमें प्रार्थीया अपनी ढ़ाणी बनाकर अपने परिवार सहित मय पशुधन निवास करती है। अप्रार्थी सं0 1 के नाम से मु0नं0 162/26 के किला नं0 1 ता 16 में कुल 4.0464 है0 कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि है। अप्रार्थी सं0 1 के मु0नं0 162/26 के किला नं0 1, 10, 11 में वर्षो से चालू रास्ता है जो कि वर्तमान में चालू है जिसे प्रार्थीया उपयोग में लेती है जो कि प्रार्थीया अपनी कृषि भूमि में प्रवेश करने के लिए किला नं0 20 के टच होती है। अप्रार्थी सं0 1 उक्त रास्ता बन्द करने पर आमादा है एवं प्रार्थीया उक्त किला नं0 1,10,11 में 2–2 बिस्वा कुल 6 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवाना चाहती है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर होने के बाद अप्रार्थी सं0 1 को पक्ष रखने हेतु रजि0 डाक से नोटिस भिजवाया गया जिसके बाद अप्रार्थी सं0 1 हाजिर नहीं आने पर एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीया अधिवक्ता ने निवेदन किया कि तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट आ चुकी है जिसमें प्रार्थीया द्वारा वांछित रास्ता प्रस्तावित किया है इसलिए प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जावे।

तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट पत्रांक 323 दिनांक 17.02.23 के अनुसार प्रार्थीया के उतरी मुरब्बा नं0 162/25 के किला नं0 21 ता 25 में रास्ता रिकॉर्ड अनुसार दर्ज है व मौके पर चालू है। प्रार्थीया अपने खेत में आवागमन के लिए किला नं0 1,10,11 में 2–2 बिस्वा रास्ता चाहती है। प्रार्थीया को आवागमन (अपने खेत में) प्रवेश के लिए वर्तमान में कोई रास्ता नहीं लगता है। अतः मु0नं0 162/26 के किला नं0 1,10,11 में 2–2 बिस्वा रास्ता सरलादेवी पत्नी महावीरप्रसाद को खेत में आवागमन के लिए प्रस्तावित किया जाता है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात व तहसीलदार खाजूवाला रिपोर्ट के अवलोकन, अध्ययन व बहस पर मनन किया गया। अदालत का यह फैसला है कि काश्तकारी

अधिनियम की धारा 251 ए के तहत प्रहत शक्तियों का इस्तेमाल करते हुवे तहसीलदार खाजूवाला की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा चक 22 पीकेडी ए के मु0नं0 162/26 के किला नं0 1, 10, 11 प्रत्येक में चिपते 2–2 बिस्वा रास्ता खेत गैरमुमकिन राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। तहसीलदार राजस्व, खाजूवाला उक्त 2–2 बिस्वा कुल 06 बिस्वा भूमि की डीएलसी से दुगुनी राशि प्रार्थीया से नियमानुसार जमा करवाकर इस रास्ता के रकबे को गैर मुमकिन रास्ता के तौर पर नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करें। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदेश की पालना सुनिश्चित करें पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)